न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 24/2015

अपीलार्थी–
1. भेरसिंह पुत्र जवारसिंह
2. छोटूसिंह पुत्र जवारसिंह
3. जबरसिंह पुत्र जवारसिंह
4. चन्दनसिंह पुत्र जवारसिंह
5. हडवन्तसिंह पुत्र जवारसिंह
6. विरधसिंह पुत्र भारतसिंह
7. भूपसिंह पुत्र रूगसिंह

जाति राजपूत निवासी खारवा
तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट –
राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.11.2015 जो प्रकरण सं. 10/2015 सरकार बनाम भेरसिंह व अन्य मे तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री मोहनलाल बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक : 06/02/2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी के द्वारा प्रकरण सं. 10/2015 मे पारित आदेश दिनांक 18.11.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का भाखरपुरा ने दिनांक 05.11.2015 को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक रिपोर्ट तहसीलदार तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वीरमाणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 331 रकबा 08–11 गैर मुमकीन रास्ता की भूमि मे से 01–02 बीघा भूमि पर गैर सायल भेरसिंह व अन्य द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा किया गया, जिनके विरूद्ध

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Scanned by CamScanner

नियमानुसार कार्यवाही की जावें। इस पर रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा गैर सायलान को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया तथा दोनो पक्षों की सुनवाई एवं मौका कब्जा की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट के आधार पर गैर सायलान (अपीलांट्स) को सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा देते हुए मौके से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.15 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलांर्थीगण की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन रेकर्ड मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 154 व 318 के मध्य आम रास्ता चल रहा है लेकिन आम रास्ते के पास पूर्व मे आम रास्ते को छोड़कर पास मे डामर सड़क बना दी जो कि अपीलकर्ता के खातेदारी खेत मे बना दी है इसलिये अपीलकर्ता ने उक्त रास्ते का मकसद नही होने पर तरमीम डामर सड़क को छोड़कर दूसरी जगह होने से तरमीम दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने व्यक्ति विशेष के प्रभाव मे आकर जानबूझकर अपीलार्थीगण के खेत मे घुसकर गलत तरीके से तोड़फोड़ की तथा नुकसान पहुंचाया जिस पर अपीलकर्ता द्वारा तहसीलदार, आर0आई, पटवारी के विरूद्ध पुलिस थाना गुड़ामालानी मे मुकदमा दर्ज करवाया जो विचाराधीन है। इस रंजिश को लेकर अपीलकर्ता को परेशान करने की नियत से यह अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। आम रास्ते की तरमीम को लेकर सक्षम न्यायालय मे अपीलकर्ता द्वारा तरमीम दुरूस्ती का वाद पत्र प्रस्तुत कर विधिवत तरीके से तरमीम सही करवाना चाहता है लेकिन तहसीलदार ने सहायक कलक्टर गुड़ामालानी मे उक्त वाद के विचाराधीन होते हुए भी उसकी बिना परवाह किये गये आदेश पारित किया है जो कानूनी गलत है। सहायक कलक्टर गुड़ामालानी ने विचाराधीन वाद मे मौका रिपोर्ट मंगवाई थी उक्त मौका रिपोर्ट मे अपीलकर्ता को अतिक्रमी नही माना है तथा तहसीलदार गुड़ामालानी के विरूद्ध राजस्व आवेदन संख्या 178/15 मे अपीलकर्ता के पक्ष मे विवादित आराजी मे किसी प्रकार की दखलदांजी नही करने का

न्यायालय अपर कलक्टर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Scanned by CamScanner

आदेश पारित किया जा चुका है फिर भी तहसीलदार ने स्थगन आदेश की पालना नही करते हुए यह आदेश पारित किया है जो गलत है। मौके पर उक्त रास्ता खुला पड़ा है एवं डामर सड़क का निर्माण होने से चालू है, ऐसे मे तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किये गये आदेश मे महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अन्दाज कर कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है।

5. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलकर्ता के खेत खसरा नम्बर 154 व 318 मौजा भाखरपुरा के बीच 50 वर्षो पुरानी सड़क चल रही है जो बाद मे पक्की सड़क बना ली गई तथा सड़क को कटान किया गया लेकिन नक्शे मे सड़क की जगह तरमीम नहीं करके उसके आस–पास तरमीम कर दी गई जिसकी अपीलकर्ता को जानकारी होने पर तरमीम सही करने की कार्यवाही सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन है। सहायक कलक्टर ही तय करेगा कि तरमीम गलत है तो अतिक्रमी नही है व सड़क अपीलकर्ता की खातेदारी खेत मे चल रही है तो भी अपीलकर्ता अतिक्रमी नही है। इस प्रकार रेस्पोडेंट को अपीलाधीन कार्यवाही करने का कोई अधिकार नही है। अतः उपर्युक्त आधारों पर अपीलार्थीगण की यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2015 को अपास्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी की ओर से पैरोकार सरकार ने प्रकट किया कि अपीलार्थीगण द्वारा अपने हदूद से बढ़कर रास्ते के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। मौके पर जो रास्ता चालू है इसके अतिरिक्त डामर सड़क मौके पर चालू है एवं खातेदारान के खेतों मे जाने हेतु बन्दोबस्त का रास्त कटाण मौजूद है जिस पर अपीलकर्तागण द्वारा बाड़ बनाकर अतिक्रमण करने की शिकायत प्राप्त होने की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने एवं मौके पर भौतिक कब्जे की पैमाईश करने पर रास्ते की भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा होना पाया गया है। वक्त मौका निरीक्षण अपीलार्थीगण को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने एवं मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने हेतु निवेदन किया गया किन्तु वे जानबूझकर उपस्थित नही हुए तथा मौके पर रास्ता खुलवाने एवं पैमाईश मे किसी प्रकार सहयोग नही किया गया। अपीलार्थीगण स्वंय इस बात से भली–भाँति जानते है कि उनके द्वारा रास्ते के भूमि पर बाड़ का निर्माण कर अतिक्रमण कर दिया है। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु पारित किया गया अपीलाधीन आदेश किसी भी दशा मे गैर कानूनी एवं विधि विरूद्ध नही

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

Scanned by CamScanner

है । बन्दोबस्त के समय मे कायम रास्ते की तरमीम किसी भी न्यायालय को परिवर्तित करने का क्षेत्राधिकार नही है ऐसे मे अपीलकर्तागण द्वारा सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत कार्यवाही सारहीन एवं विधि विरूद्ध होने से उसका कोई प्रभाव अपीलाधीन कार्यवाही पर नही होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बाद विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई कानूनी या वाक्याती भूल नही होने एवं प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है जो खारिज फरमाई जावें।

7. हमने दोनो पक्षों द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि पटवारी हल्का भाखरपुरा ने दिनांक 05.11.2015 को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक रिपोर्ट तहसीलदार तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वीरमाणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 331 रकबा 08–11 गैर मुमकीन रास्ता की भूमि मे से 01–02 बीघा भूमि पर गैर सायल भेरसिंह व अन्य द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा किया गया, जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। इस पर रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा गैर सायलान को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया तथा दोनो पक्षों की सुनवाई एवं मौका कब्जा की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट के आधार पर गैर सायलान (अपीलांट्स) को सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा देते हुए मौके से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.15 पारित किया गया। अपीलकर्ता का अभिकथन है कि उनके खातेदारी के खसरा नम्बर 318 व 154 के मध्य से आम रास्ते को छोड़कर उनके पास मे अपीलकर्ता के खातेदारी खेत मे डामर सड़क बना दी गई है, इसलिए अपीलकर्तागण ने उक्त रास्ते की तरमीम सड़क के स्थान पर परिवर्तित करने हेतु कार्यवाही सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने मौके पर निर्मित डामर सड़क के बदले मे बन्दोबस्त के कटाण आम रास्ते की भूमि को अपने कब्जे मे लेकर बाड़ बनाकर अवरूद्ध कर लिया गया है जबकि कटाण रास्ते की भूमि पर किसी भी काश्तकार को खातेदार अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा भी समय–समय पर जारी परिपत्रों मे स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि बन्दोबस्त के समय से कटाण रास्तों को छोड़कर मौके अवस्थिति एवं सुविधा

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Scanned by CamScanner

अनुसार सड़क का निर्माण कर लिया गया है तो भी पुराने बन्दोबस्त के रास्ते को सड़क मे समायोजित नही किया जाकर भविष्य मे आपातकालीन वैल्पिक मार्ग के रूप मे बहाल रखा जावें। ऐसी स्थिति मे हस्तगत प्रकरण मे यदि अपीलकर्तागण ने अपने खेत मे होकर गुजरने वाले बन्दोबस्त रास्ते की तरमीम मौके पर स्थित सड़क की अवस्थिति अनुसार किये जाने हेतु तरमीम दुरूस्तीकरण की कार्यवाही प्रस्तुत भी कर ली है तो वह विधि सम्मत नही है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गैर मुमकीन रास्ता की भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। इस प्रकार विवादित गैर मुमकीन रास्ते की भूमि पर अपीलकर्तागण के कोई अधिकार सृजित नही होने से रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपीलकर्तागण को अतिक्रमी घोषित कर सिविल कारावास की सजा एवं जुर्माना आरोपित किये जाने बाबत पारित किया गया अपीलाधीन आदेश किसी भी दशा मे विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती है तथा रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2015 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. आदेश आज दिनांक 06.02.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर ... राजस्थान

(राकेश कुमार)
अपर जिला कलक्टर,
अपर कलेक्टर बाड़मेर,
(ए.डी.एम.)

Scanned by CamScanner